



# छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

परिपत्र

क्रमांक...../2015

दिनांक 22/12/2015

विषय:-मण्डल की योजना में 10 प्रतिशत भवन ऑफर से विक्रय करने के संबंध में।

—000—

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 24वें मण्डल सम्मिलन दिनांक 23/05/2009 की पद संख्या क्रमांक 26, संकल्प क्रमांक 706-26 दिनांक 24.05.2009 में निर्णय लिया गया है कि मण्डल की आवासीय योजनाओं में रु.15.00 लाख से अधिक मूल्य के भवनों में से 10 प्रतिशत भवन ऑफर के माध्यम से विक्रय किये जावें।

उक्त निर्णय को पुनः संशोधित करते हुए मण्डल के 44वें मण्डल सम्मिलन दिनांक 12.08.2014 के पद संख्या क्रमांक-09 पर पारित संकल्प क्रमांक 1242-09/44/ 08/2014 दिनांक 12.08.2014 निर्णय लिया गया कि कमजोर आय वर्ग (EWS) भवनों को छोड़कर रु.15.00 लाख की सीमा को समाप्त कर मण्डल की समस्त योजनाओं में 10 प्रतिशत भवन अच्ची स्थिति के (बिटर लोकेशन) को योजना पूर्ण होने पर ऑफर के माध्यम से विक्रय किये जावें।

वर्तमान में मण्डल के आवासीय भवन बड़ी संख्या में रिक्त/अविक्रित है जिनका की मूल्य लगभग 1600 करोड़ है। इस स्थिति के कारण मण्डल की निधि जो कि इन योजनाओं पर खय हुई है, अवरुद्ध हो गयी है।


मण्डल सम्मिलन के अनुमोदन की प्रत्याशा में मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक-704/2015 दिनांक 24.11.2015 द्वारा आदेश जारी किया गया है कि मण्डल के 44वें मण्डल सम्मिलन दिनांक 12.08.2014 के पद संख्या क्रमांक-09 पर पारित संकल्प क्रमांक 1242-09 /44/08/2014 दिनांक 12.08.2014 के निर्णय को पुनः संशोधित करते हुए परिपत्र क्रमांक-704/2015 दिनांक 24.11.2015 तथा परिपत्र क्रमांक-714/2015 दिनांक 30.11.2015 द्वारा आदेशित किया गया है कि ऑफर से विक्रय हेतु आरक्षित रखे गये ऐसे भवनों को जिनकी योजना के तीन या अधिक विज्ञापन हो चुके है तथा भवन विक्रय नहीं हुए है को "प्रथम आओं प्रथम पाओं" के आधार पर तथा "मुख्यमंत्री कर्मचारी आवास योजना" अंतर्गत सम्मिलित करते हुए आबंटित किया जावें।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 49वें मण्डल सम्मिलन दिनांक 11.12.2015 की पद संख्या-07 संकल्प क्रमांक 1348/07/49/12/2015 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि मण्डल योजनाओं में ऑफर आधार पर विक्रय हेतु आरक्षित जिन भवनों के तीन बार से कम विज्ञापन ऑफर आधार पर विक्रय हेतु किये गये है, उन्हें ऑफर आधार पर विक्रय हेतु तीन विज्ञापन पश्चात् ही "प्रथम आओं प्रथम पाओं" तथा मुख्यमंत्री कर्मचारी आवास योजना में सम्मिलित करते हुए आबंटन की कार्यवाही की जावें।

आयुक्त  
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल  
रायपुर

पृ.क्र. २४५९/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.- /15 रायपुर, दिनांक २२/१२/२०१५  
प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर मान. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ क्ववसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त/आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
5. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
6. आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
8. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
9. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
11. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
12. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
13. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
14. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
15. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
16. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03, रायपुर /दुर्ग/जगदलपुर/बिलासपुर/ रायगढ़/ कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
17. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-1,2,3,4 रायपुर/राज.परि. संभाग-1,2, रायपुर/संभाग-दुर्ग/परियोजना.संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/कोरबा/रायगढ़/बिलासपुर/ जगदलपुर/अंबिकापुर/कोण्डागांव/विद्युत संभाग-01,02,03 रायपुर।
18. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
19. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

  
आयुक्त  
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल  
रायपुर  
२२/१२